ऑन लाईन नं. GCMS 2025/64

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सुमाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं० 24/2025

श्री अमित शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान, जयपुर।

बनाम

1. श्री अमित कुमार मित्तल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण —(विकेता)—
   आर एस के—3, हनुमानगढ़ रोड रिद्धि सिद्धि प्रथम, श्रीगंगानगर।
2. श्री राकेश पुत्र श्री प्रेम कुमार — (प्रोपराईटर)—
   मै.महादेव इन्डस्ट्रीज, एफ 227 बी —उद्योग विहार, रीको, जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/58

निर्णय दिनांकः 30.05.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.09.2024 से आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राज० जयपुर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहे हैं और राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक संख्या प. 5(01) चिस्वा/ग्रुप—3/2023 दिनांक 27.09.2024 एवं अधिसूचना कमांक संख्या प. 5(01) चिस्वा/ग्रुप—3/2023 दिनांक 13.03.2024 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियों प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज, जयपुर के आदेश क्रमांक 2099 दिनांक 08.10.2024 एवं 16.03.2024 के अनुसार कार्य क्षेत्र समस्त राजस्थान राज्य आवंटित किया गया है और समस्त राजस्थान राज्य के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवेदक के कार्य क्षेत्र में आते है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.09.2024 को 11.30 ए.एम. पर **मैसर्स महादेव इन्डस्ट्रीज एफ—227—13 उद्योग विहार रिको श्री गंगानगर राज० 335001,पर पहुँचे**। वहां पर अमित कुमार मित्तल उपस्थित थे। अमित कुमार मित्तल को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर अमित कुमार मित्तल ने उक्त फर्म का विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता से वर्ष 2024 का खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञा पत्र मांगा जिस पर उन्होने स्वयं के पहचान के तौर पर आधार कार्ड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन एवं खाद्य अनुज्ञा पत्र की छाया प्रतियां प्रस्तुत की जिसके अनुसार **अमित कुमार मित्तल** फर्म के विकेता/खाद्य कारोबारकर्ता हैं। प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर परिसर में **इडिबल ऑयल फेमिली लाइट** के विभिन्न पैकिंगों (500 एमल पेक, 1 लीटर पेक) में 400 लीटर आम जनता को विक्रय हेतु रखा पाया व विक्रय किया जा रहा था एवं खाद्य कारोबारकर्ता ने बताया कि उक्त समस्त **इडिवल ऑयल** एक ही प्रकार/एक ही क्वालिटी का है। मौके पर रखे उक्त

अति० जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

खाद्य पदार्थ में गुणवता में कमी का अन्देशा होने पर वास्ते नमूना जांच हेतु **इडिबल ऑयल (फेमिली लाइट)** की 1 लीटर पेक की चार बोतल तेल खरीद कर उसकी कीमत 588/– रुपये खाद्य कारोबारकर्ता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की, जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान **मुकेश कुमार** के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्यायनिर्णायन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियाँ रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे खाद्य कारोबारकर्ता ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5ए न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **इडिबल ऑयल फेमिली लाइट (1 लीटर मुल पेक को 4 अलग अलग पेक कर)** हेतु लेबल तैयार कर प्रत्येक प्लास्टिक जार पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. **के–2441** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया। खाद्य नमूनीकरण के पश्चात शेष बचे **इडिबल ऑयल (फेमिली लाइट) कुल मात्रा 396 लीटर को नियमानुसार सील सीज कर खाद्य कारोबारकर्ता की सुरक्षित अभिरक्षा में सौंपा गया।**

मौका कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहान को पढ कर हस्ताक्षर हेतु कहा, इन्होने मौका फर्द पढ कर हस्ताक्षर किये, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. छः की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेपक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं

अति० जिला कलैक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

मुख्य खाद्य विश्लेषक, जयपुर(राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :—:L.S./3737/Act/2024/3737 Dated 27.09.2024 जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2441 Contravenes No.2.1.1(5)** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्राधिकृत करने पर आवेदक ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री अमित कुमार मित्तल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण (विक्रेता) और श्री राकेश कुमार पुत्र श्री प्रेम कुमार(प्रोपराईटर), मै. महादेव इन्डस्ट्रीज, एफ—227 बी उद्योग विहार, रिको, श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर का **इडिबल ऑयल (फेमिली लाइट)** विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/58 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 27.03.2025 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने जवाब में कथन किया कि

1. यह कि परिवादी द्वारा परिवाद की मद संख्याः—1 में उन के द्वारा अंकित नियुक्ति की तिथि एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी, कार्यालय में उक्त खाघ सुरक्षा के पद पर कार्य करने के लिए अधिकृत होने की परिवादी को जानकारी नहीं हैं। आवश्यक साक्ष्य परिवादी से पेश करवाई जावें।

2. यह कि परिवाद की मद संख्याः—2 में अंकित कथन जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है, आवश्यक साक्ष्य परिवादी से पेश करवाई जावें।

3. यह कि परिवाद की मद संख्या—3 में अंकित कथन असत्य होने की वजह से स्वीकार नहीं हैं। अप्रार्थीगण द्वारा ईकाई पर बेचान नहीं किया जाता। परिवादी द्वारा मौका पर अप्रार्थी को फार्म नम्बरः—5 ए भरकर नहीं दिया बल्कि परिवादी के स्टॉफ ने अप्रार्थी संख्याः—1 को डरा धमकाकर खाली फार्मों एवं कागजो पर हस्ताक्षर करवाए थे। परिवादी ने मद संख्याः—3 में अधूरे कथन अंकित किए हैं। परिवादी ने इस तथ्य का उल्लेख जानबूझकर नहीं किया कि अप्रार्थीगण की ओर से तथाकथित ईडेबल ऑयल किसी फर्म को सप्लाई या बेचान किया था या किया जाना था। इसी आधार पर परिवादी का परिवाद खारिज किये जाने योग्य हैं।

4. यह कि परिवाद की मद संख्या—4 में अंकित कथन असत्य होने की वजह से स्वीकार नहीं हैं। परिवादी द्वारा फर्म 5—ए ना तो मौका पर भरा गया तथा ना ही अप्रार्थी अथवा गवाहान को पढ़कर सुनाया गया। परिवादी के स्टॉफ द्वारा अप्रार्थी संख्याः—1 से खाली फार्म 5 ए एवं खाली कागजों पर डरा धमकाकर हस्ताक्षर करवाए गए हैं। परिवादी ने मौका पर खुद भी फॉर्म नम्बरः—5 ए पर हस्ताक्षर नहीं किए।

5. यह कि परिवाद की मद संख्याः—5 में अंकित कथन असत्य होने की वजह से स्वीकार नहीं हैं। परिवादी के स्टॉफ ने बिना किसी राशि भुगतान किए अप्रार्थी संख्याः—1 को डरा धमकाकर केश मीमो बनवाई थी और अप्रार्थी संख्याः—1 को कहा था कि परिवादी बहुत बड़े

अति० जिला कलैक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

अधिकारी हैं, मगर उनके अनुसार काम ना किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अप्रार्थी संख्याः–1 की उपस्थिति में कैश मीमो पर मौका पर गवाहन के हस्ताक्षर नहीं किए। परिवादी द्वारा प्रस्तुत कैशमीमो अवैध हैं।

6. यह कि परिवाद की मद संख्याः–6 असत्य होने की वजह से स्वीकार नहीं हैं। परिवादी व उनके स्टॉफ मौका पर नमूने तैयार नहीं किए गए तथा ना ही लेबल चिपका कर हस्ताक्षर आदि करवाए गए तथा ना ही कोई नमूना सील चपड़ी किया गया। परिवादी व उनके स्टॉफ ने सारी कार्यवाही ऑफिस में जाकर की गई है और अप्रार्थी के जिस खाली कागजों पर विभिन्न स्थानों पर हस्ताक्षर करवाए थे उनको कांट छांट कर उन का दुरुपयोग कर विधि विरुद्ध कार्यवाही को अंजाम दिया हैं।

7. यह कि परिवाद की मद संख्याः–7 असत्य होने की वजह से स्वीकार नहीं हैं। परिवादी व उनके स्टॉफ द्वारा मौका पर फर्द रिपोर्ट तैयार नहीं की गई तथा ना ही किसी ऐसी रिपोर्ट को अप्रार्थी अथवा गवाहन को पड़कर सुनाया गया।

8. यह कि परिवाद की मद संख्याः–8 में अंकित कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार हैं। आवश्यक साक्ष्य परिवी से पेश करवाई जावें।

9. यह कि परिवाद की मद संख्याः–9 में अंकित कथन असत्य होने की वजह से स्वीकार नहीं हैं। परिवादी द्वारा विधि के अनुसार नमूने एफ एस एल नहीं भिजवाए जिस कारण एफ एस एल की रिपोर्ट सही नहीं आई।

10. यह कि परिवाद की मद संख्याः–10 कानूनी हैं।

11. यह कि परिवाद की मद संख्याः–11 जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं हैं। आवश्यक साक्ष्य परिवादी से पेश करवाई जावें।

12. यह कि बाजार में अप्रार्थीगण से प्रतिस्पर्धा करने वाले उद्यमियों की बातों में आकर एवं उन उद्यमियों से सांठ–गांठ कर अप्रार्थीगण के विरुद्ध झूठा परिवाद, परिवादी द्वारा पेश किया गया है जो कि खारिज किए जाने योग्य हैं।

अतः जवाब परिवाद पेश कर निवेदन है कि परिवादी का परिवाद असत्य कथनों पर आधारित होने के कारण खारिज फरमाया जावें। श्रीमान् जी की अति कृपा होगी।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **इडिबल ऑयल (फेमिली लाइट)** का सैम्पल **K-2441** मुख्य खाद्य विश्लेषक, जयपुर(राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./3737/Act/2024/3737 Dated 27.09.2024 **Contravenes No.2.1.1(5)** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 में निर्धारित है।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को ही दोहराते हुए कथन किया कि परिवादी का परिवाद असत्य कथनों पर आधारित होने के कारण खारिज फरमाया जावें। श्रीमान् जी की अति कृपा होगी।

अति० जिला कलैक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम के तहत सही प्रकिया अपनाते हुए नियमानुसार नमूने का संग्रहण किया गया है। इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Edible Oil made from Palm Oil, Til Oil and Refined Vegetable Oil as mentioned by Food Safety Officer in Form No. VI (Brand Family Lite)"** bearing Code No and Sr. No. **K-2441**, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is **Contravenes of Regulation No.2.1.1(5)** of Food Safety and Standards (Porhibition and Restrictions on sales) Regulations, Act-2011 **as Mixture of Two or more edible oil sale as an edible oil is prohibited and also Contravenes Regulation No.5(2)(d) of FSS(Labelling and Display) Regulation 2020.**की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त **श्री अमित कुमार मित्तल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण (विक्रेता) और श्री राकेश कुमार पुत्र श्री प्रेम कुमार(प्रोपराईटर), मै. महादेव इन्डस्ट्रीज, एफ–227 बी उद्योग विहार, रिको, श्रीगंगानगर** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 के अन्तर्गत अभियुक्तगण **श्री अमित कुमार मित्तल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण (विक्रेता) और श्री राकेश कुमार पुत्र श्री प्रेम कुमार(प्रोपराईटर), मै. महादेव इन्डस्ट्रीज, एफ–227 बी उद्योग विहार, रिको, श्रीगंगानगर** को **राशि रूपये 50,000–00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में सीज 396 लीटर इडिबल ऑयल(फैमिली लाईट) का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 कि तहत चेतावनी देते हुए नियमानुसार निस्तारण करें।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमेष कुमार)
न्यायिक निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।